रजिस्टर्ड नं०-एडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 21 अप्रैल, 2018 ई० (बैशाख 1, 1940 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, बहराइच

27 फरवरी, 2018 ई0

सं0 2359/विसा0/न0पा0प0बह0/2018–नगरपालिका परिषद् बहराइच ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 व 298 के अन्तर्गत व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016" के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियम हेतु उपविधि बनायी है। जिसका प्रकाशन पत्र संख्या 1423/न0पा0प0ब0 विज्ञापन/2017 दिनांक 17 अगस्त, 2017 के माध्यम से समाचार-पत्र हिन्दुस्तान दिनांक 19 अगस्त, 2017 के संस्करण एवं समाचार-पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 19 अगस्त, 2017 के संस्करण में आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु कराया गया था। प्रकाशन के तिथि से एक माह के अन्दर सर्वसाधारण से आपत्ति/सुझाव मांगे थे। समयान्तर्गत प्राप्त 12 आपत्ति का पालिका द्वारा नियमानुसार निस्तारण कर संशोधित रूप को स्वीकृति प्रदान करते हुए पत्रांक 1629/न0पा0प0ब0/स्वा0अनु0न0पा0प0ब0/2017 दिनांक 07 अगस्त, 2017 के माध्यम से इसे अन्तिम रूप से दैनिक जागरण समाचार-पत्र के संस्करण दिनांक 06 अगस्त, 2017 में प्रकाशन कराया गया–

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2017

1–संक्षिप्त नाम व विस्तार तथा प्रारम्भ–(अ) यह नियमावली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017 कहलायेगी।

(ब) यह उपविधि नगरपालिका परिषद बहराइच सीमा के अन्दर लागू होगी।

(स) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के कर्तव्य–प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता,–

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट के पृथक्कृत और पृथक् शाखाओं अर्थात् जैव निम्नीकरण योग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग-अलग डिब्बों में भण्डारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक् किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों, पैडो आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों द्वारा उपलब्ध या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को पृथक् रूप से अपने ही परिसर में भण्डारित करेगा । जब कभी वह उत्पन्न होता हो, और उसे संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार निपटान करेगा, और

(घ) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक् रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा,

3–काई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेंकेगा न जलायेगा और न गाड़ेगा,

4–कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथककरण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा।

5–प्रत्येक मार्ग विक्रेता, अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसा कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियलों के छिलके, शेष बचे भोजन, सब्जियों फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा,

6–इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक् करने, पृथक् किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वाले अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रो को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर संशाधित उपचारित और कम्पोष्ट करके अथवा बायोपिथानेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा,

7–इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी ग्रेट लगे समुदाय और संस्थान स्थानीय प्राधिकरण के भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत्र पर ही पृथक् करना, पृथक् किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनश्चित करेंगे। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां सम्भव होगा परिसर के अन्दर संशाधित, उपचारित और कम्पोष्ट करके अथवा बायोमेथानेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

8–इन नियमों के अधिसूचित होने के तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी होटल और रेस्टोरेन्ट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक् करना, पृथक् किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रों को सौंपना सुनश्चित करेंगे। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर संशाधित उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जायेगा,

9–नगर पालिका सीमा के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों से पाँच सौ रुपये एवं खुले में पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर 100 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। जिसकी अदायगी सम्बन्धित व्यक्ति को तुरन्त करनी होगी।

10—यह कि माननीय उच्च न्यायालय, की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 पर नगर विकास अनुभाग-5 के आदेश संख्या 3595/नौ-5-2016-29 रिट/2014, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री अवंशेष रखने पर रु0 50,000.00 का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

1—सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता से निम्नानुसार फीस वसूल की जायेगी—

		रु0
[i]	आवासीय भवन (प्रतिपरिवार)	30.00 प्रतिमाह
[ii]	व्यावसायिक भवन प्रत्येक दुकान जलपान , रेस्टोरेन्ट	100.00 प्रतिमाह
[iii]	व्यावसायिक भवन प्रत्येक काम्पलेक्स, होटल	500.00 प्रतिमाह
[iv]	व्यावसायिक भवन फैक्ट्री, अर्द्धसरकारी संस्थान	500.00 प्रतिमाह
[v]	व्यावसायिक भवन चिकित्सीय क्लीनिक	1,000.00 प्रतिमाह
[vi]	व्यावसायिक भवन नर्सिंग होम	2,500.00 प्रतिमाह
[vii]	आयोजन या समारोह 100 व्यक्ति से अधिक पर	05.00 प्रति व्यक्ति

2—अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क प्रति वर्ष—

[i]	मछली फुटकर बिक्री	300.00
[ii]	मछली थोक बिक्री	500.00
[iii]	फल फुटकर बिक्री	300.00
[iv]	फल थोक बिक्री	1,000.00
[v]	सब्जी थोक बिक्री	1,000.00
[vi]	सब्जी फुटकर बिक्री	300.00
[vii]	अण्डा थोक बिक्री	1,000.00
[viii]	अण्डा फुटकर बिक्री	300.00
[ix]	मुर्गा, बकरा, भैंस-भैंसा बिक्री	1,000.00

उक्त धाराओं का उल्लंघन करना अपराध माना जायेगा। उल्लंघन की दशा में रु0 5,000.00 (रु0 पाँच हजार) जुर्माना से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें अपराधी द्वारा अपराध किया जाना सिद्ध है, रु0 50.00 तक होगा। जुर्माना लगाये जाने का अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् बहराइच में निहित होगा तथा वसूली नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय-6 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी (प्रशासक),
नगर पालिका परिषद,
बहराइच।